नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 15–06–2017

स्थान : सभाकक्ष
कृषि निदेशालय
कृषि भवन,
लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 अख्तर हसीब, कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री शिवराम त्रिपाठी , संयुक्त सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ0प्र0शासन – सदस्य

3– श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी , संयुक्त सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन – सदस्य

4– श्री राकेश कुमार त्रिपाठी , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति /अध्यक्ष वित्त उपसमिति द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी , संयुक्त सचिव वित्त विभाग एवं श्री राकेश कुमार त्रिपाठी ,वित्त नियंत्रक का स्वागत किया गया, तथा माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया , तदोपरान्त बैठक में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

प्रस्ताव सं0 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27–05–2016 एवं 16–09–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27–05–2016 एवं 16–09–2013 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं0 3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2016–17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017–18 अनुमानित आय व्यय पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017–18 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचार विमर्श किया गया । आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा दिये गये सुझावानुसार परिशिष्ट –क के अनुसार आय व्ययक की संस्तुति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी । वित्त उप समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण सूचना निदेशक उ0प्र0 से विश्वविद्यालय के विज्ञापन को शास्कीय दर से प्रकाशित कराने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से सम्पादित करें । जब तक सूचना विभाग द्वारा शासकीय दर पर अनुमति नही दी जाती है तब तक पूर्व व्यवस्था के अनुसार विज्ञापन किये जायें ।

प्रस्ताव सं0 4 **विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 26–02–2003 के बाद अथवा विनियमितीकरण की तिथि जो भी बाद में घटित हो , से सेवानिवृत्ति लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय नें तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को उनके विनियमितीकरण की तिथि से सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने संबधी आदेश को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से सस्तुति प्रदान की गयी । यदि किसी कर्मी द्वारा किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है या कुलाधिपति महोदय या शासन में प्रकरण लम्बित है , तो उसके सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान निर्णय आने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं0 5 **वेतन समिति उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग –3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सचिव, वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 , उ0 प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–66/2016 /वे.आ.–2– 1443 / दस–04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 इस विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिको के वेतन पुनरीक्षण हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा वित्त वेतन आयोग ,अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–66/2016/वे.आ.–2–1443/दस–04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । यदि किसी कर्मी द्वारा किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है या कुलाधिपति महोदय या शासन में प्रकरण लम्बित है तो उन कार्मिकों के वेतन का पुनरीक्षण निर्णय आने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं0 6 **मान0 उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 15332(एस.एस.) /2016 विजय कुमार सिंह व अन्य –1 बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 व अन्य–4 में पारित आदेश दिनांक 06–07–2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15–07–2016 तथा विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र / शासनादेश सं0 473/ 67– कृ.शि.अ.– 16–30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार अवर अभियन्ता संवर्ग के कर्मचारियों से संबंधित पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु उच्चीकृत वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200/– प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग , उ0प्र0 शासन, वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 473/67–कृ.शि.अ.– 16–30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 7 रिट याचिका संख्या 1343(एस.बी0)/2007 व रिट याचिका संख्या 1117 (एस. बी0)/2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2012 एवं प्रमुख सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र /शासनादेश सं0 222 / 67–कृ.शि.अ.–16–30(45)/07दिनांक 19 अप्रैल , 2016 के अनुपालन में प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 दिनांक 27–05–2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 27–05–2016 से ही अनुमन्य करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 8 मान0 उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 5152(एस.एस.)/ 2016 दिनेश प्रताप सिंह व अन्य –33 बनाम राज्य सरकार उ0 प्र0 व अन्य–3 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं0 2437(सी)/ 2016 में पारित आदेश दिनांक 22–12–2016 एवं सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 1568/67–कृ.शि.अ.– 16–200(27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों से संबंधित पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु कनिष्ठ लिपिक /अन्य समकक्ष 91 पद वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1900/–, वरिष्ठ लिपिक 28 पद वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2400/– तथा कार्यालय अधीक्षक 03 पद के पुर्नगठन कर उच्च ग्रेड वेतन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं0 1568/67–कृ.शि.अ.– 16–200 (27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 9 मान0 उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 1728(एस.बी0)/ 1999 ,याचिका संख्या 1726(एस.बी0)/ 1999 एवं याचिका संख्या 88(एस.बी0)/ 2000 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं0 1294(सी)/2016 तथा 1295(सी)/2016 में पारित आदेश दिनांक 03–11–2016 एवं विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 425/67–कृ.शि.अ. – 16–30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार याचीगण को वेतनमान रू0 2200–4000 (पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 15600 –39100 ए0जी0पी0 रू0 6000/–) प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

मान0 उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिकाओं के दृष्टिगत उक्त याचिकाओं से आच्छादित 7 याचीगणों के पदों के वेतनमान की विसंगति के निराकरण को अपने स्तर से अनुपालन करायें जाने का आदेश दिया । तदुपरान्त, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र/शासनादेश 425/67–कृ.शि.अ. – 16–30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय , कुमारगंज फैजाबाद को दिशा–निर्देश देया गया, , तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं उ0प्र0शासन के दिशा–निर्देश के अनुपालन करने हेतु विश्वविद्यालय ने 7 कर्मियों को तदानुसार आदेश सं0 एन0डी0यू0ए0टी0–16/वि0प्र0/2016/2120 दिनांक 09 दिसम्बर 2016 निर्गत कर दिया गया तथा यह दिशा–निर्देश दिया गया कि उक्त आदेश प्रबन्ध परिषद के निर्णय के अधीन होगा।

दिनांक 15 जून, 2017 की वित्त उपसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त याचिगणों के देय लाभ का अनुमोदन किया जाता है और इन याचिगणों का देय लाभ पुर्नःयोजित आगामी प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 20 जून, 2017 को बुलायी गयी जिसमें इसकी संस्तुति प्राप्त की जायेगी।

प्रस्ताव सं0 10 **कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ)कृषि भवन लखनऊ के शासनादेश सं0 1198/12–3–2016–100(5)/2011 दिनांक 22–9–20.16 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश, , (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ)कृषि भवन लखनऊ द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 11 **वेतन समिति 2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अनुक्रम में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के पदों की वेतन विसंगति के निराकरण /पुनर्गठन के संबंध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनउ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 38/2016/449/ 67–कृ.शि.अ.–16–1500 (45) /14 दिनांक 30 जून , 2016 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0 38/2016/449/ 67–कृ.शि.अ.–16–1500 (45) /14 दिनांक 30 जून ,2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 12 **इस विश्वविद्यालय के आशुलिपिक संवर्ग से सम्बन्धित पदों की वेतन विसंगति का निराकरण कर उच्चीकृत वेतन निर्धारण एवं पुनर्गठन हेतु जारी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश सं0 166/ 67– कृ.शि.अ.–17–500 (6) /11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को लागू करने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा संयुक्त सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं0 166/67–कृ.शि.अ.–17–500 (6) /11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 13 **निदेशालय निर्माण एवं संयंत्र में विद्युत सम्बन्धी कार्यो की देख–रेख एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत रिक्त पदो के सापेक्ष नियत मानदेय पर कार्मिकों को लगाये जाने पर विचार एव र्निणय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार विमर्श किया गया । सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने की शासन से अनुमति प्राप्त की जाय । विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्य प्रभावित न हो इस दृष्टिकोण से रिक्त पदों को भरे जाने तक सेवानिवृत्त दक्ष एवं स्वस्थ कार्मिकों से प्रार्थनापत्र प्राप्त कर कुलपति द्वारा एक कमेटी का गठन करके

सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुर्ननियोजन हेतु नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति से रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वेतन का निर्धारण शासनादेश सं0 स–सा0–3–302/दस–2013–308/97 टी0सी0 दिनांक 22–4–2013 द्वारा किये जाने की भी संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं0 14 **कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी पत्र / शासनादेश सं0 1670/ 67– कृ.शि.अ.–16–400 (25) /07 दिनांक 07 नवम्बर 2016 को इस विश्वविद्यालय के वाहन चालकों हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा वाहन चालको को पूर्व में दिये गये लाभ को निरस्त करते हुए संयुक्त सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 ,उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं0 1670/ 67– कृ.शि.अ.–16–400 (25) /07 दिनांक 07 नवम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 15 **निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–अटारी , जी0टी0रोड, रावतपुर कानपुर के पत्र सं0 ATTARI/2015 /misc दिनांक 31–7–2015 संयुक्त सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन लखनऊ के पत्र सं0 870 / 67– कृ.शि.अ.–17–1500(3)/16 टी0सी0 –1 दिनांक 02–05–2017 एवं कृषि उत्पादन आयुक्त ,उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 21–04–2017 के कार्यवृत्ति के बिन्दु–6 के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों /हेड को वित्तीय अधिकार दिये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,कानुपर के पत्र सं0 ATTARI/2015 /misc दिनांक 31–7–2015 के दिशा निर्देश के दृष्टिगत वित्तीय नियमों के अनुसार प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय जो कुलसचिव के पत्रांक 07/स्था/का0अधी0/प्रसार /367 दिनांक 22–5–2017 द्वारा वित्तीय अधिकारों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों को दिये जाने हेतु जारी किया गया है , की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी (प्रति संलग्न) ।

प्रस्ताव सं0 16 **कृषि शिक्षा एवं अनुसंधन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र संख्या 2344/ 67– कृ.शि.अ.– 16–1500 (159) /07 दिनांक 17 मार्च 2017 में संदर्भित अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36–03– 2016–01(अधि0) / 2005 दिनांक 15 जून 2016 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गयी वृद्विको विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय**

वित्त उपसमिति द्वारा प्रबन्ध परिषद की 173वी बैठक के मद संख्या 173:5 के निर्णय को निरस्त करते हुए [redacted] संयुक्त सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/ सं0 2344/ 67– कृ.शि.अ.– 16–1500 (159) /07 दिनांक 17 मार्च 2017 में संदर्भित श्रम अनुभाग के अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36–03– 2016–01(अधि0) / 2005 दिनांक 15 जून 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी तथा

यह निर्णय लिया गय कि भविष्य में उक्त श्रेणी के दैनिक भोगी कर्मचारियों का भुगतान श्रम अनुभाग द्वारा अधिसूचित दरों पर ही सुनिश्चित किया जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

15-06-17

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

(अख़्तार हसीब)
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2017/ 347 दिनांक 16–06–2017

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति

परिशिष्ट–क

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,फैजाबाद

आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2016–17 एवं अनुमान वर्ष 2017–18

(धनराशि हजार रू0 में)

कमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2016–17	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2017–18
1	2	3	4
1	**राज्य सरकार आयोजनेत्तर योजनाएं**		
क	कृषि विश्वविद्यालय	463645	641392
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	86681	137581
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	13707	19809
घ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	182	200
छ	आडिट फीस	10000	32023
ज	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	0	32000
	योग (राज्य सरकार आयोजनेत्तर)	**574215**	**863005**
2	**राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएं**		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	31125	65458
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	229667	266814
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0	1023
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यकम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु राज्यांश	0	253
च	कृषि महाविद्यालय आजमगढ की स्थापना हेतु	1099	30000

	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3639	1
	योग (राज्य सरकार आयोजनागत)	**265530**	**363546**
3	**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं**		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	158942	225900
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	3244	18238
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0	4000
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0	3067
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0	10000
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं की 75 प्रतिशत धनराशि	93304	196373
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	38	2000
	योग	**255528**	**459578**
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	12117	1337
	योग	**12117**	**1337**
5	चकीय निधि	38349	69775
	योग	**38349**	**69775**
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	**1145739**	**1757241**

- **यात्रा व्यय मद में रू0 1000 हजार , स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 50 हजार , औषधि तथा रसायन मद में रू0 175 हजार , अन्य व्यय मद में रू0 600 हजार तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबधी स्टेशनरी का कय मद में रू0100 हजार की सीमा तक व्यय करने की संस्तुति की गयी ।**

प्रेषक: 01/06/2013

संख्या–सा–3–302/दस–2013–308/97टी०सी०

प्रेषक

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँकः 22 अप्रैल, 2013

विषयः– पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–1443/दस–930/83 दिनाँक 15 दिसम्बर, 1983, शासनादेश संख्या–सा–3–2551/दस–946/87, दिनाँक 23 दिसम्बर, 1987, शासनादेश संख्या–सा–3–2211/दस–930–83, दिनाँक 25 नवम्बर, 1988, शासनादेश संख्या–सा–3–1527/दस–930/83, दिनाँक 11 जुलाई, 1989, शासनादेश संख्या–सा–3–1329/दस–97/930/83, दिनाँक 27 सितम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–सा–3–126/दस–98–902/98, दिनाँक 16 मार्च, 1998 तथा शासनादेश संख्या–सा–3–957/दस–1998–902/98, दिनाँक 18 जुलाई, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के लागू होने के अनन्तर, राज्य सरकार द्वारा पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के संम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1)– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों का पुनर्योजित पद पर वेतन निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग) में से शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि घटाते हुये किया जायेगा।

(2)– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनाँक 01–01–2006 के उपरान्त पुनर्योजित सरकारी सेवकों द्वारा पुनर्योजित पद पर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन काल्पनिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार निर्धारित किय जायेगा जैसे वह पुनरीक्षित वेतन संरचना में सेवानिवृत्त हुये हों। पुनर्योजन पर उनका वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित काल्पनिक पुनरीक्षित वेतन (ग्रेड-वेतन सहित) में से पुनरीक्षित पेंशन (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए किया जायेगा।

---2/--

(3)– ऐसे राजकीय सेवक जो दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि को पुनर्योजन में थे, के अपुनरीक्षित वेतनमान में आहरित अंतिम मूल वेतन तथा पेंशन का पुनरीक्षण दिनाँक 01–01–2006 से उपर्युक्तानुसार करते हुये, पुनर्योजित पद पर उनका वेतन पुनः निर्धारित किया जायेगा।

(4)– पुनर्योजित पद पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग, पुनर्योजित सरकारी सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) (वास्तविक अथवा काल्पनिक, जैसी भी स्थिति हो) अथवा पुनर्योजित पद के वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(5)– वेतन संशोधन संबंधी आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस संशोधन के फलस्वरूप अवशेषों का भुगतान संबंधित कोषागार/संस्था जहाँ से पुनर्योजित सरकारी सेवक वेतन आहरित कर रहा है, द्वारा किया जायेगा।

2– इस आदेश में उल्लिखित पूर्व शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी। यह आदेश दिनाँक 01–01–2006 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–302(1)/दस–2013–308/97टी0सी0, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलहाबाद।
2– समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 वित्त–13–5–2013–(235)–2000 प्रति0–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।